न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 06/2019

1. सतपाल सिह पुत्र गुरमेज सिह जाति जटसिख निवासी 41 एफए तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. जसविन्द्र सिह पुत्र गुरमेज सिह जाति जटसिख निवासी 41 एफए तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. देवेन्द्र कौर पत्नि गुरमेज सिह जाति जटसिख निवासी 41 एफए तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. कुलविन्द्र कौर पत्नी निर्मल सिह पुत्री गुरमेज सिह जाति जटसिख निवासी 2 बीएलएम तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

--वादीगण--

बनाम

1. नन्द लाल पुत्र धर्मचन्द जाति अरोडा निवासी रवि चौक हनुमान मन्दिर के पास श्रीगंगानगर।
2. मेहर चन्द पुत्र धर्मचन्द जाति अरोडा निवासी रवि चौक हनुमान मन्दिर के पास श्रीगंगानगर।
3. छिन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिह जाति जटसिख साकिन 41 एफए तहसील श्रीकरणपुर।
4. मनजीत कौर पत्नी हरीकिशन सिह जाति जटसिख साकिन 41 एफए तहसील श्रीकरणपुर।
5. राज्य सरकार जरिये राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादीगण--

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए

--निर्णय-- **दिनांक : 28/3/2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 41 एफए की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 2/2 के मु0 नं0 35 व 43/24 की कुल 6.199 हैक्टर नहरी रकबा मे वादीगण के मृतक पिता गुरमेज सिह के नाम अपने भाईयो अजायब सिह व मूर्ता सिह के साथ 3.922 हैक्टर नहरी रकबा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है शेष रकबा अन्य सहखातेदारो के नाम दर्ज है। वादीगण के पिता गुरमेज सिह की दिनांक 09.11.2018 को मृत्यु हो चुकी है। वादीगण के पिता का अपने भाईयो के साथ घरू बटवारा हो चुका है जिसमे मु0 नं0 35 का समस्त रकबा वादीगण के पिता को हिस्सा मे आया है जिस पर वादीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। चक 41 एफए की मिसल बन्दोबस्त 2027 ता 36 के खाता संख्या 32/7 के मु0 नं0 36 के किला नं0 3 ता 8 व 13 ता 18 प्रत्येक सालम, किला नं0 23 ता 25 प्रत्येक 18 बिस्वा कुल 14 बीघा 14 बिस्वा नहरी भूमि धर्मचन्द के नाम दर्ज है इस भूमि की सनद जारी करते समय धर्मचन्द के नाम मु0 नं. 36 के किला नं0 4 ता 7, किला नंस0 14 ता 17 प्रत्येक सालम, किला नं0 24,25 प्रत्येक 18 बिस्वा कुल 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि की सनद जारी की गई जिसका इन्तकाल संख्या 115 दिनांक 14.06.1989 है। धर्मचन्द द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व इस भूमि की वसीयत दिनांक 05.10.1988 को अपने दोनो लडके मेहरचंद व नन्द लाल के नाम कर दी। इस वसीयत के जरिये इन्तकाल संख्या 118 दिनांक 25.01.1990 मेहरचंद व नन्द लाल के नाम दर्ज हो गया। मेहरचंद व नन्द लाल द्वारा इस 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बेचान जरिये बैयनामा दिनांक 19.06.1990 से छिन्द्र कौर प्रतिवादी संख्या 3 को कर दिया जिसका इन्तकाल संख्या 130 दिनांक 27.03.1992 है। छिन्द्रकौर द्वारा अपने जीवनकाल मे 1.240 हैक्टर नहरी भूमि मु0 नं0 36 के किला नं0 5,6,15,16,25 का बेचान जरिये बैयनामा दिनांक 21.05.2017 को प्रतिवादी संख्या 4 को कर दिया जिसका इन्तकाल जमाबंदी मे दर्ज हो चुका है। धर्मचन्द द्वारा मु0 नं0 36 की सिचाई व्यवस्था हेतू खाला परिवर्तन के संबंध मे पूर्व मे प्रार्थना पत्र सिचाई विभाग मे प्रस्तुत किया था कि मु0 नं0 36 की सिचाई व्यवस्था के लिये मु0 नं0 35 के किला नं0 1 ता 5 मे खाला स्वीकृत किया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीक्षण अभियन्ता बीकानेर वृत्त श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण के मु0 नं0 35 के किला नं0 1 ता 5 मे खाला स्वीकृत किया गया एवं इस स्वीकृत किये गये खाला के बदले 10 बिस्वा भूमि मु0 नं0 36 की भूमि मे से मु0 नं0 35 के मालिक गुरमेज सिह को भूमि के साथ चिपती हुई भूमि देने के आदेश दिये गये जिसकी पालना मे वादीगण के द्वारा मु0 नं0 35 के किला नं0 1 ता 5 मे खाला स्वीकृत होने पर वर्ष 1969 मे खाला की भूमि धर्मचन्द ने चक मे छोड दी ओर इसकी ऐवज मे धर्मचन्द ने मु0 नं0 36 के किला नं0 5 की कृषि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

(ह0)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

भू। का कब्जा वादीगण को दे दिया। इस प्रकार वर्ष 1969 से वादीगण का मु0 नं0 36 के किला नं0 5 के 10
बिस्वा भूमि पर कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा है। मु0 नं0 35 के किला नं0 1 ता 5 मे मौका पर पक्का खाला
का निर्माण किया जा चुका है इसलिये वादीगण सिचाई विभाग के निर्णय दिनांक 12.06.1969 की पालना मे मु0
नं0 35 के किला नं0 1 ता 5 मे 2-2 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन खाला घोषित करवाने तथा मु0 नं0 36 के
किला नं 5 की 10 बिस्वा भूमि मु0 नं0 35 के साथ चिपती हुई कृषि भूमि को अपने नाम खातेदारी घोषित
करवाने के अधिकारी है। सिचाई विभाग का निर्णय दिनांक 12.05.1969 के विरूद्ध किसी न्यायालय मे अपील
नही हुई है। निर्णय दिनांक 12.05.1969 की पालना मे जमाबंदी मे मु0 नं0 35 के किला नं0 1 ता 5 की 2-2
बिस्वा भूमि गैरमुमकिन खाला दर्ज की जानी थी तथा मु0 नं0 36 के किला नं0 5 की 10 बिस्वा भूमि वादीगण
के पिता के नाम दर्ज की जानी थी जो आज तक इस रिकार्ड को दुरूस्त नही किया गया है इसलिये वादीगण
निर्णय दिनांक 12.05.1969 की पालना मे न्यायालय मे दावा ला पाने के अधिकारी है। अधीक्षण अभियन्ता के
निर्णय दिनांक 12.05.1969 का अंकन जमाबंदी मे नही होने पर मु0 नं0 36 के किला नं0 4 ता 7, किला नं0
14 ता 17 व किला नं0 24,25 की कुल 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि धर्मचन्द के वारिसान मेहरचंद, नन्द लाल को
जरिये वसीयत प्राप्त होने के बाद इस भूमि का बेचान छिन्द्र कौर को कर दिया और छिन्द्र कौर द्वारा मु0 नं0
36 के किला नं0 5,6,15,16,25 की कुल 1.240 हैक्टर नहरी भूमि प्रतिवादी संख्या 4 मनजीत कौर को बेचान
कर दी। जिसका इन्तकाल संख्या 442 दिनांक 31.05.2017 है लेकिन निर्णय दिनांक 12.06.1969 मे मु0 नं0
36 के किला नं0 5 के संबंध मे किया गया बैयनामा दिनांक 19.06.1990 व इन्तकाल संख्या 130 दिनांक
27.03.1992 और बैयनामा दिनांक 07.11.2016 व इन्तकाल संख्या 442 दिनांक 31.05.2017 शून्य एवं
अवैध है और वादीगण के अधिकारो पर बेअसर है इसलिये वादीगण निर्णय दिनांक 15.06.1969 की पालना मे
मु0 नं0 36 के किला नं0 5 की हद तक बैयनामा दिनांक 19.06.1990 व इन्तकाल संख्या 130 व बैयनामा
दिनांक 07.11.2016 तथा इन्तकाल संख्या 442 दिनांक 31.05.2017 को शून्य एवं अवैध घोषित करवाने के
अधिकारी है। मु0 नं0 36 के किला नं0 5 के 10 बिस्वा भूमि पर निर्णय दिनांक 12.05.1969 की रूह से
वादीगण का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है परन्तु वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 4 मनजीत कौर राजस्व रिकार्ड
मे मु0 नं0 36 का किला नं0 5 सालम अपने नाम दर्ज होने का अनूचित फायदा उठाते हुये कब्जा करने की
फिराक मे है जबकि वादीगण द्वारा इस 10 बिस्वा भूमि की एवज मे मु0 नं0 35 के किला नं0 1 ता 5 मे 10
बिस्वा भूमि खाला के लिये छोडी हुई है और मौका पर पक्का खाला का निर्माण किया हुआ है यदि प्रतिवादी
संख्या 4 इस रकबा पर कब्जा करने मे कामयाब हो गये तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा
इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करने के अधिकारी है। 10 दिन पूर्व
प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के मु0 नं0 36 के किला नं0 5 पर कब्जा करने की धमकी दी गई तो वादीगण द्वारा
निर्णय दिनांक 15.06.1969 की नकल प्राप्त की गई। जिससे वादीगण को पता लगा की निर्णय दिनांक 15.06.
1969 की पालना नही हुई। इस पर वादीगण हल्का पटवारी एवं प्रतिवादीगण से मिले ओर निर्णय दिनांक 15.
06.1969 की पालना हेतू कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया इसलिये न्यायालय मे दावा पेश करना जरूरी हो गया
यहीं वाद कारण है। राज्य सरकार को जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र न्यायालय
के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वाद पत्र मय शपथ
पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे।

1. वादीगण को चक 41 एफए के मु0 नं0 36 के किला नं0 5 की 10 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर यह रकबा राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।
2. चक 41 एफए के खाता संख्या 2/3 के मु0 नं0 35 मे वादीगण के पिता के नाम दर्ज 1.307 हैक्टर नहरी भूमि मे से 10 बिस्वा भूमि अर्थात किला नं0 1 ता 5 के प्रत्येक मे 2-2 बिस्वा भूमि कुल 10 बिस्वा भूमि गैरमुमकिन खाला घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे गैरमुमकिन खाला दर्ज किया जावे।
3. चक 41 एफए के मु0 नं0 36 के किला नं0 5 के 10 बिस्वा भूमि के संबंध मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे एवं अन्य कोई अनुतोष हो तो वादीगण को दिलवाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1,2,3 व 5 को [illegible] से पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्ध कोई रिलीफ नही चाहते है। प्रतिवादी संख्या 4 के [illegible] राजीनामा हो चुका है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1,2,3 व 5 की तलबी बंद करवाना चाहते [illegible] एवं [illegible]नामा अनुसार दावा डिक्री करवाना चाहते है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1,2,3 व 5 की तलबी बंद

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

किया जाकर दावा राजीनामा अनुसार डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 4 व वादीगण के द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया जो दोनो पक्षो को पढकर सुनाया गया। दोनो पक्षो के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर पत्रावली मे संलग्न किया गया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1,2,3 व 5 की तलबी बंद की गई।

दोनो पक्षो को सुना गया। दोनो पक्षो के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी गई।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दोनो पक्ष प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने बाबत सहमत है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद पत्र निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

1. चक 41 एफए के मु0 नं0 36 के किला नं0 5 के उत्तरी पूर्वी कोना के 16x16 फुट रकबा को गैरमुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है।
2. वादीगण द्वारा मु0 नं0 36 के किला नं0 5 के 10 बिस्वा रकबा का कब्जा द्वितीय पक्ष अर्थात प्रतिवादी संख्या 4 को सम्भलादिया है और वादी द्वारा इस 10 बिस्वा रकबा की मुआवजा राशि द्वितीय पक्ष प्रतिवादी संख्या 4 से प्राप्त कर ली है इसलिये आज के बाद वादीगण का इस 10 बिस्वा रकबा पर कोई अधिकार नही रहेगा।
3. वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र मे यह अंकित किया है कि मु0 नं0 35 के किला नं0 1 ता 5 मे प्रत्येक मे 2-2 बिस्वा खाला सिचाई विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है और मौका पर पक्का खाला का निर्माण किया हुआ है। अतः चक 41 एफए के मु0 नं0 35 के किला नं0 1 ता 5 मे प्रत्येक के 2-2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा रकबा को गैरमुमकिन खाला घोषित किया जाता है।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। खर्चा दोनो पक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 28/8/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner